



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

## खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: ईरपुर			पटवारी हल्का: नानकोड़ी			तहसील: झिरन्या			जिला: खरगौन		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्पण प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि व सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभिवृत्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कालम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1035630797 7DLTU1D8UK31H0	28/1 (S)		1.7710 हेक्टेयर कृषि रु.5.19	रतन पिता भीमसिंग जाति बारेला पता इरपुर झिरन्या खरगौन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी  सोनीबाई बेवा भीमसिंग रेजिना विनीता पिता भीमसिंग जाति बारेला पता इरपुर झिरन्या खरगौन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1/2  1/2			बैंक ऑफ इंडिया शाखा ZIRNIYA, At and P. O. Zirniya, में दि. 03/07/2015 में बंधक किया गया था उसे दि. 29/10/2022 से बंधकमुक्त किया जाता है	रबी गेहूँ	क्षेत्रफल सिं. 1.7710	नामांतरण(फौती)प्रकरण क्रमांक ठह- प्र-क्र-33/17-18 आ.दि. 16/08/2018 के अनुसार सरपंच द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(कौटुम्बिक व्यवस्था)प्रकरण क्रमांक 0072/ अ-27/18-19 आ.दि. 08/03/2019 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है।  (यह जमीन सिंचित है) नीम 1.नाले से पियत विप.व्दारा । नामा.प.क्र.01 ग्राम तह महो के आदे.दि.25.10.2011 के तहत बटवारा नामा.स्वीकृत। श्रीमान तह. महो. के आ. दि. 17/01/2014 से (बंधक ) बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झिरन्या से रुपये 75000 में बंधक ।

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।